43

न्यायालय समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र.रिव्यू 3081-PBR/2016

प्रणवीर सिंह आत्मज श्री श्यामसिंह चौहान

कृषक खिल्लीखेड़ा निवासी-ग्राम तामोट तहसील गौहरगंज

जिला-रायसेन (म.प्र.) ....पुर्नविलोकन अर्जीकर्ता/निगरानीकर्ता

विरूद्ध

लक्ष्मीनारायण आत्मज श्री रामबख्श, वयस्क

निवासी-ग्राम खिल्लीखेड़ा तहसील गौहरगंज

जिला-रायसेन (म.प्र.) ....उत्तरदाता

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

महोदयजी,

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 2162 पी.बी.आर./2015 (प्रणबीर सिंह विरूद्ध लक्ष्मीनारायण) में पारित आदेश दिनांक 11.08.2016 से दुखी एवं परिवेदित होकर यह पुर्नविलोकन (रिव्यू) आवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष रिकार्ड पर उपलब्ध सुसंगत तथ्यों एवं न्यायालय के समक्ष उपलब्ध साक्ष्य तथा ठोस आधारों पर न्यायिक निराकरण हेतु यह पुर्नविलोकन आवेदन समय सीमा में सादर प्रस्तुत है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है

01. यह कि आवेदक/पुर्नविलोकन अजीकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक निगरानी अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग-भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 74/अपील/2013-14 (लक्ष्मीनारायण विरूद्ध प्रणवीर सिंह) में पारित अधिकारिता रहित आदेश दिनांक 08.06.2015 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 3081–पीबीआर/16 **जिला रायसेन**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–2–2017	आवेदक की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाने का अनुरोध किया गया । अनुरोध स्वीकार करते हुए आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रकरण आगे नहीं चलाये जाने के कारण यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । **(मनोज गोयल)** अध्यक्ष	